

कार्यालय राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14(कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./ 00010

दिनांक: 20-06-2024

बजट आवंटन आदेश - 00010

वर्ष 2024-25 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या - 36. Establishment, operation and maintenance of animal Rescue Centres/Rescue Wards and veterinary treatment facilities for wild animals , (a) Maintenance of Rescue Wards (Other than Nagaur, Bikaner, Jodhpur and Barmer Districts), (b) Maintenance of Rescue Wards in Nagaur, Bikaner, Jodhpur and Barmer Districts, (c) Running and maintenance of Rescue Centres for wild animals (Other than Nagaur, Bikaner, Jodhpur and Barmer Districts), (d) Running and maintenance of Rescue Centres for wild animals in Nagaur, Bikaner, Jodhpur and Barmer Districts आवंटित कार्यो को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डल/वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

Budget Head Name - 2406-04-103-04-01-12

Budget Description -

2406- Forest & wildlife

04-Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present value of forest land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

Budget Allocation Type - Normal Allocation

Item Name : 36. Establishment, operation and maintenance of animal Rescue Centres/Rescue Wards and veterinary treatment facilities for wild animals				
Activity Name : (a) Maintenance of Rescue Wards (Other than Nagaur, Bikaner, Jodhpur and Barmer Districts)				
S.No.	Division Name	Budget Head Name	Physical Target (Nos.)	Financial Target(Lacs) (2.00000)
1	DCF DAUSA	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
2	DCF AJMER	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
3	DCF HANUMANGARH	2406-04-103-04-01-12	3.00000	6.00000
4	DCF JAISALMER	2406-04-103-04-01-12	2.00000	4.00000
5	DCF JALORE	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
6	DCF IGNP ST II JAISALMER	2406-04-103-04-01-12	2.00000	4.00000
7	DCF CHITTORGARH	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
Total :			11.00000	22.00000
Item Name : 36. Establishment, operation and maintenance of animal Rescue Centres/Rescue Wards and veterinary treatment facilities for wild animals				
Activity Name : (b) Maintenance of Rescue Wards in Nagaur, Bikaner, Jodhpur and Barmer Districts				
S.No.	Division Name	Budget Head Name	Physical Target (Nos.)	Financial Target(Lacs) (4.00000)
1	DCF NAGAU	2406-04-103-04-01-12	2.00000	8.00000
2	DCF BARMER	2406-04-103-04-01-12	5.00000	20.00000
3	DCF WL JODHPUR	2406-04-103-04-01-12	17.00000	68.00000
Total :			24.00000	96.00000
Item Name : 36. Establishment, operation and maintenance of animal Rescue Centres/Rescue Wards and veterinary treatment facilities for wild animals				
Activity Name : (c) Running and maintenance of Rescue Centres for wild animals (Other than Nagaur, Bikaner, Jodhpur and Barmer Districts)				
S.No.	Division Name	Budget Head Name	Physical Target (Nos.)	Financial Target(Lacs) (2.00000)
1	DCF SIKAR	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
2	DCF AJMER	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
3	DCF TONK	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
4	DCF SRIGANGANAGAR	2406-04-103-04-01-12	2.00000	4.00000
5	DCF HANUMANGARH	2406-04-103-04-01-12	2.00000	4.00000
6	DCF CHURU	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
7	DCF PALI	2406-04-103-04-01-12	2.00000	4.00000
8	DCF JALORE	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
9	DCF SIROHI	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
10	DCF BARAN	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
11	DCF JHALAWAR	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
12	DCF BANSWARA	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
13	DCF PRATAPGARH	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
14	DCF & DY. FD-I RANTHAMBHOR TP SAWAIMADHOPUR	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
15	DCF & DY FD-II RANTHAMBHOR TP KARALI	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
16	DCF & Dy. FD SARISKA TP-1 ALWAR	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000

17	DCF WL KOTA	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
18	DCF WL JAISALMER	2406-04-103-04-01-12	1.00000	2.00000
19	DCF WL UDAIPUR	2406-04-103-04-01-12	2.00000	4.00000
Total :			23.00000	46.00000
Item Name : 36. Establishment, operation and maintenance of animal Rescue Centres/Rescue Wards and veterinary treatment facilities for wild animals				
Activity Name : (d) Running and maintenance of Rescue Centres for wild animals in Nagaur, Bikaner, Jodhpur and Barmer Districts				
S.No.	Division Name	Budget Head Name	Physical Target (Nos.)	Financial Target(Lacs) (4.00000)
1	DCF NAGAUER	2406-04-103-04-01-12	2.00000	8.00000
2	DCF BIKANER	2406-04-103-04-01-12	2.00000	8.00000
3	DCF IGNP ST II BIKANER	2406-04-103-04-01-12	1.00000	4.00000
4	DCF JODHPUR	2406-04-103-04-01-12	1.00000	4.00000
5	DCF BARMER	2406-04-103-04-01-12	1.00000	4.00000
6	DCF WL JODHPUR	2406-04-103-04-01-12	2.00000	8.00000
Total :			9.00000	36.00000

सामान्य शर्तें :-

- उप वन संरक्षक कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अंतर्गत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना / वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार हो।
- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ. 2024-25/कैम्पा/अप्रमुवसं/2023-24 344-59 दिनांक 05.06.2024 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- उप वन संरक्षक बजट आबंटन करने से पूर्व वृक्षरोपण की जीवित प्रतिशतता अनुसार ही व्यय होना सुनिश्चित करें।
- कैम्पा मद के अंतर्गत आवंटित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित ग्राम सभा /VPFMC /EDC से सहमति प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।
- आवंटित बजट का व्यय कैम्पा (Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act and 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018 (CAF rules) . प्रावधानों के अंतर्गत किया जावे।
- आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो क्योंकि स्टेट कैम्पा का अकाउन्ट ब्याज बियरिंग है।
- आवंटित राशि जिस उद्देश्य / कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य / कार्य के लिए नियमानुसार ही व्यय की जावे तथा इसमें से किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी / मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।
- बजट उपयोग के संबंध में समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त निर्देशों की पालना की जावे।
- कैम्पा के आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय संपादित किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं में परस्पर Overlapping से बचा जा सके।
- कैम्पा मद के अन्तर्गत नये कार्यस्थलों की सूची मय GPS Coordinate के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।
- वन्यजीव क्षेत्रों में कराये जाने वाले सिविल कार्य, वन्यजीव प्रबंधन योजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार हो।
- कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एव अन्य रिकॉर्ड (Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS accounting rules) एव सामान्य वित्तीय एव लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट एकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों के आडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- उप वन संरक्षक यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित मापदंड के अनुसार जीवितता प्रतिशतता तथा जिन वृक्षरोपण में जीवित प्रतिशतता निर्धारित मापदण्ड से कम है उसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान परिपत्र एफ 7 (24) 02 -03 / विवरक्षाका / प्रमुवसं / 10401 दिनांक 31.3.2004 की पालना सुनिश्चित करें।
- संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेख संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का साधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित प्रद्वृति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- समस्त उप वन संरक्षकगण कार्य पूर्ण होने उपरान्त उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र राजस्थान कैम्पा को वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- Prior to implementation of approved APOs, the Dcfs shall submit a certificate to State CAMPA to the effect that the proposed activities are being taken up after due consultation with Gram Sabha and are as per provisions of FRA 2006. Activities proposed in forest areas are in consonance

with approved working plan; and activities proposed in protected areas (PAs) are in consonance with approved Wildlife Management Plan. Whereas, activities proposed in forest fire prevention and control operations

